



2026: AHC : 51466

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6961 वर्ष 2026

झारखंडे यादवयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याची हेतु अधिवक्ता: अर्पित मालवीय, अवधेश कुमार मालवीय

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 2249 वर्ष 2016 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 4-तहसीलदार (न्यायिक)/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), सदर, जिला गाजीपुर द्वारा 03.09.2022 को बेदखली और 7,56,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर याची द्वारा बहाली आवेदन दायर किया गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 ने आदेश दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से स्वीकार कर लिया। उपरोक्त आदेश में यह कहा गया है कि चूंकि याची द्वारा अवैध अतिक्रमण पहले ही हटा लिया गया है, इसलिए बेदखली का कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति की राशि को 7,56,000/- रुपये से घटाकर 16,250/- रुपये कर दिया गया। केवल क्षतिपूर्ति की राशि से व्यथित होकर याची ने प्रतिवादी संख्या 2-जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, जिला गाजीपुर के समक्ष संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत एक अपील

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दायर की। उक्त अपील को प्रतिवादी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 07.08.2025 द्वारा खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत है।

2. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपील केवल क्षतिपूर्ति के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 07.08.2025 के आदेश में पूरी तरह से अवैध रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित बेदखली का आदेश दिनांक 20.12.2024 वैध आदेश है, और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा क्षतिपूर्ति लगाए जाने के संबंध में पूरे आदेश में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए. के. मालवीय, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना गया।
4. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चूंकि याची द्वारा अवैध अतिक्रमण हटा लिए गए थे, इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2024 पारित किया गया था, जिसके द्वारा याची के विरुद्ध संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही बंद कर दी गई थी, लेकिन 16,250/- रुपये का मुआवजा लगाया गया था। इसके विरुद्ध याची द्वारा दायर अपील में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पूरी तरह से अवैध रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि याची विवादित भूखंड पर अवैध कब्जे में है। इसके अलावा, क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया।
5. मामले के इस स्वरूप को देखते हुए और न्याय के हित में, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2025 को निरस्त किया जाता है।
6. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।